श्री विनय प्रसाद
27/3/17

(30) (67)

दिनांकः 20.02.2017 को प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के अध्यक्षता में राज्य नवप्रवर्त्तन पर्षद के उद्योग प्रक्षेत्र के उप समिति के बैठक की कार्यवाहीः–

उद्योग विभाग 202/RUM 27/03/2017 इन्दिरा भवन, बिहार, पटना

उपस्थितिः– पंजी में संधारित।

बैठक के प्रारंभ में दिनांकः 21.10.2016 के बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गई।

कार्यवाही सं0–1

नेमी कुमार, शांति भवन, नारियल बाजार, मधुबनी द्वारा दो नवप्रवर्त्तन कार्यः (क) विभिन्न आकार के भाउचर एवं बिल को सुरक्षित रखने हेतु एवं छोटे कागजात के बड़े आकार (A4 Size) के कागज पर Glue से चिपका देनेवाली मशीन का निर्माण एवं (ख) FRP(Fibre-Reinforced Plastic Products) नवप्रवर्त्तन की उपयोगिता एवं संभाव्यता पर विचार करने हेतु प्रस्ताव रखा गया था परंतु श्री कुमार समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण देने हेतु उपस्थित नहीं हो सके।

कार्यवाही सं0–2

श्री सुनील कुमार सिंह, ग्राम– रामबाग, पो0–शिवगंज, भोजपुर द्वारा Magnetic Flux Jet Engine के अन्वेषण के उपयोगिता एवं संभाव्यता आकलन के क्रम में श्री सिंह द्वारा समिति के समक्ष उक्त Engine के कार्य प्रणाली पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया तथा उक्त Engine का Prototype निर्माण करने हेतु संभावित व्यय रू0 1.00 लाख (एक लाख रूपये) की आवश्यकता का जिक्र किया गया।

उप समिति द्वारा सर्व–सम्मत्ति से Magnetic Flux Jet Engine के Prototype निर्माण हेतु रू0 1.00 लाख की सहायता राशि श्री सिंह को देने हेतु अनुशंसित किया गया और प्रस्ताव योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना को भेजने का निर्णय लिया गया जिससे वे Prototype Engine का निर्माण कर प्रदर्शन अगली बैठक में करेंगे।

कार्यवाही सं0–3

श्री गोविन्द शर्मा, ग्राम+पोस्ट–पीर पोखर, भाया–चोरौत, जिला–मधुबनी द्वारा बिना विद्युत के बैट्री चार्ज करने का मशीन जिसे शर्मा द्वारा "Self Acting Lead Acid Battery Charger" का नामाकरण दिया गया है, इसके कार्य प्रणाली एवं उपयोगिता के संबंध में श्री शर्मा द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त Charger के उपयोगिता एवं संभाव्यता के आकलन हेतु राष्ट्रीय प्रावैधिकी संस्थान, पटना के Electrical Deptt. के विभागाध्यक्ष से इस संबंध में मंतव्य प्राप्त किया जाय तथा उक्त समिति के आगामी एक माह बाद होनेवाली बैठक में भाग लेने हेतु, इन्हें भी आमंत्रित किया जाय।

कार्यवाही सं0–4

मो0 एजाजुद्दीन, ग्राम–झखड़ा शेख, पो0थाना–करजा, मुजफ्फरपुर द्वारा "पार्टी वियर शर्ट" (अजुबी कमीज) जिसे रजवी 3डी शर्ट नाम दिया गया है, का मो0 एजाजुद्दीन द्वारा शर्ट को समिति के समक्ष प्रदर्शित किया गया एवं इसके फायदे के संबंध में बतलाया गया।

इस संबंध अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि श्री रविभूषण सिन्हा, संयुक्त उद्योग निदेशक, जो रेडीमेड गारमेंट्स कलस्टर के प्रभारी हैं, मो0 एजाजुद्दीन को Mentoring करने का कार्य करेंगे।

कार्यवाही सं0–5

श्री विरेन्द्र पटेल, ग्राम+पोस्ट–सरोवर, हनुमान चौक, मोतीहारी द्वारा मच्छर मारने संबंधित रसायन युक्त युक्ति को प्रदर्शित किया गया एवं बतलाया गया कि मच्छर आकर्षित होकर रसायन में सटकर मर जाते हैं। साथ हीं श्री पटेल द्वारा जिन्दा पकड़ने की युक्ति के संबंध में भी बतलाया गया।

उप समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री पटेल के उक्त युक्ति के संभाव्यता एवं उपयोगिता के संबंध में राष्ट्रीय प्रावैधिकी संस्थान, पटना के रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष से मंतब्य प्राप्त किया जाय। साथ हीं इसे Patent कराने के लिए पहल किया जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरांत बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

23/3/2017
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 880 / पटना, दिनांक: 20.3.17
सं0सं0–02 / उ0नि0 / मु0मं0नव0प्रो0यो0–14–08 / 16

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग / प्रधान सचिव, वाणिज्यकर विभाग / प्रधान सचिव, गन्ना विभाग / प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना / उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / संयुक्त उद्योग निदेशक–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

23/3/2017
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।